



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 07.01.2025

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.01.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	रेहड़	आसिक अली पुत्र अ० खालिक नि० ग्रा० दहलावाला थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
2	नजीबाबाद	अंसार अहमद पुत्र यासीन नि० पालोमल कालोनी थाना नजीबाबाद, बिजनौर
3	नजीबाबाद	सवाज पुत्र अ० हुसैन नि० मकान न० 6503/सी सेक्टर 56 चण्डीगढ़ ।
4	किरतपुर	मनीष कुमार पुत्र परम सिंह नि० फजलपुर फतेउल्लाह थाना किरतपुर, बिजनौर
5	नगीना	राकेश उर्फ बब्लू पुत्र अमीचन्द नि० विश्वनोई सराय कस्बा व थाना नगीना , बिजनौर



थाना रेहड़



थाना नजीबाबाद



थाना किरतपुर



थाना नगीना



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 07.01.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 09/2025 धारा 76 बीएनएस व 9एम/10 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.01.2025 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 05.01.2025 को वादिया की 08 वर्षीय पुत्री के साथ मुखतार निवासी मौ0 दारूदग्रान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा छेड़छाड एवं गलत हरकत की गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 09/2025 धारा 76 बीएनएस व 9एम/10 पॉक्सो एक्ट बनाम मुखतार उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 07.01.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त मुखतार पुत्र सहीदुद्दीन निवासी मौ0 दारूदग्रान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुखतार पुत्र सहीदुद्दीन निवासी मौ0 दारूदग्रान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री सुभाष राणा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. का0 994 गौरव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नूरपुर

दिनांक 07.01.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 05/25 धारा 305(क)/317(2) बीएनएस (पशु चोरी) से संबंधित अभियुक्त को 50 हजार रुपये नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.01.2025 को वादी श्री संजय कुमार पुत्र श्री अमर सिंह सैनी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि रात्रि में अज्ञात अभियुक्तगणों द्वारा वादी के घर से वादी की 02 भैंस चोरी कर ली गयी। वादी ने अभियुक्तगण 1.भूरा पुत्र सुखवा कुरैसी 2. फरमान पुत्र इरफान कुरैसी निवासीगण ग्राम गांवडी पनियाला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर पर शक होना बताया। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 05/25 धारा 305(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

आज दिनांक 07.01.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त भूरा पुत्र सुखवा कुरैसी निवासी ग्राम गांवडी पनियाला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी भैंसों को बेचकर मिले 50 हजार रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। शेष अभियुक्त फरमान पुत्र इरफान की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त भूरा ने पूछताछ पर बताया कि उसने अपने साथी फरमान पुत्र इरफान के साथ मिलकर ग्राम तंगरौली से संजय कुमार के घर से दो भैंसे चोरी की थी, जिसको ग्राम मनौटा पुल जनपद सम्भल में किसी अज्ञात व्यक्ति को 01 लाख रुपये कीमत पर बेच दिया और 50-50 हजार रुपये आपस में बांट लिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.भूरा पुत्र सुखवा कुरैसी निवासी ग्राम गांवडी पनियाला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद मोटर साइकिल सुपर स्प्लेन्डर (डी0एल0 8एस सीएक्स 4301)
2. 50,000 रुपये

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सौरभ उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 193/20 धारा 188/269/270/278 बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 05/25 धारा 305ए/317(2) भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- 1–उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
- 2–मुख्य आरक्षी 536 सुमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
- 3–आरक्षी 1588 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
- 4–आरक्षी 1052 अर्जुन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 07.01.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.07.2024 को वादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार निवासी कस्बा व थाना नांगल जनपद बिजनौर ने बीरबल अस्पताल के सामने से अपनी मोटर साइकिल स्पलेण्डर रजि0नं0 UP20BQ4127 चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 606/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया था ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 07.01.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.विवेक पुत्र कामेन्द्र निवासी ग्राम जमालपुर पठानी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर व 2.उत्तम पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी रशीदपुर गढ़ी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मोटर साइकिल स्पलेण्डर रजि0नं0 UP20BQ4127 सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.विवेक पुत्र कामेन्द्र निवासी ग्राम जमालपुर पठानी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
- 2.उत्तम पुत्र चन्द्रप्रकाश निवासी रशीदपुर गढ़ी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

मोटरसाइकिल स्पलेण्डर रजि0नं0 UP20BQ4127

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 जोगेन्द्र बैसला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1036 सुमित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 904 विमल कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 4.कां0 250 अवतार सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर